परियोजना का नामः— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—53/2017 के अन्तर्गत जनपद—देहरादून के विकास खण्ड़ सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत—0.158है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एंव 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र(आरक्षित वन भूमि—0.158 है0 तथा सिविल सोयम वन भूमि—0.000 है0 कुल 0.158 है0, मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास **V** के अर्न्तगत आता है"।

प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार 0.4 है। प्रस्तावित पेयजल योजना के संरेखण में कोई वृक्ष अवस्थित एंव वाधित न होने की दशा में प्रस्तावित स्थल के धनत्व को घनत्व 0.1 आंका गया है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति हैक्टर दर रू0 6,57,000=00 (रू0 छः लाख सतावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आगणन रू0 1,03,806=00(रू0 एक लाख तीन हजार आठ सौ छः मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी